

प्रश्न सं. [क. 1977],
विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक - 1977
माननीय सदस्य श्री नारायण सिंह पट्टा
मध्य प्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग

परिशिष्ट

वल्लभ भवन-III, डी विंग प्रथम तल

मंत्रालय, भोपाल-462004

दूरभाष नम्बर:- 0755-2708558 ई-मेल:- usnvdd91@gmail.com

क्रमांक एफ 5/1/2/0009/2023/Sec-1-27

भोपाल दिनांक 03/07/2023

प्रति

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय

भोपाल।

विषय:- विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-856 दिनांक 01.03.2023 माननीय सदस्य
श्री संजय यादव (अपूर्ण उत्तर) ।

--00--

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 856, दिनांक 01.03.2023 माननीय
सदस्य श्री संजय यादव द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर की सौ प्रतियाँ संलग्न प्रेषित हैं ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

(वर्षा सोलंकी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग

पृ० क्रमांक एफ 5/1/2/0009/2023/Sec-1-27

भोपाल दिनांक 03/07/2023

प्रतिलिपि:-

उप सचिव मध्यप्रदेश शासन संसदीय कार्य विभाग की ओर विधानसभा
अतारांकित प्रश्न क्रमांक-856 (अपूर्ण उत्तर) के उत्तर की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु
अग्रेषित ।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नर्मदा घाटी विकास विभाग

मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय

प्रश्न


सदन में उत्तर देने का दिनांक 01.03.2023 उत्तर भेजने का अंतिम दिनांक 21.02.2023
विषय:- नर्मदा जल के उपयोग हेतु कार्य योजना । विभाग का नाम:- नर्मदा घाटी विकास विभाग
(अतारांकित प्रश्न क्रमांक : 856) श्री संजय यादव


क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) सदस्य अभियांत्रिकी नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1548/555/26-A/EE-10/2-2021, भोपाल दिनांक 06.09.2021 द्वारा प्रश्नकर्ता को अवगत कराया गया था, कि नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश राज्य को प्रदाय 18.25 एम.ए.एफ. जल मात्रा के पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नर्मदा घाटी विकास विभाग, जलसंसाधन विभाग, पीएचई एवं प्राइवेट लिफ्टिंग आदि से जल उपयोग शामिल करते हुए कार्य योजना अंतिम की जा चुकी है ? यदि हां तो उक्त कार्ययोजना में किन-किन जिले की कौन-कौन सी योजनाएं शामिल थी ? सूची उपलब्ध कराएं । (ख) उपरोक्त अंतिम कार्य योजना बनाए जाने के उपरांत विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक किन-किन जिलों में कौन-कौन सी योजना को स्वीकृति प्रदान की गई ? सूची दें । (ग) क्या प्रश्नांश (ख) स्वीकृत योजनाओं में ऐसी भी योजनाएं सम्मिलित हैं, जिनका नाम उपरोक्त वर्णित अंतिम कार्य योजना में नहीं था ? यदि हां तो बड़ादेव उदवंत सिंचाई परियोजना बरगी को सम्मिलित नहीं करने के उचित कारण दें ।

--: उत्तर :-

मुख्यमंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : (क) मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित नर्मदा जल के उपयोग का वर्तमान स्थिति अनुसार पुनः आंकलन एवं उपयोग अंतिम रूप से निर्धारित किया जाना प्रक्रियाधीन है । कार्ययोजना पुनरीक्षण के उपरांत सूची उपलब्ध कराया जाना संभव होगा । (ख) एवं (ग) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।


अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
संजय, भोपाल


(वर्षा सोलंकी)

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग